Full A-4 size

सामान्य-निषेध :

कंपनी उपरोक्त राइडर में संदर्भित अतिरिक्त धनराशि (राइडर) का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी यदि बीमित व्यक्ति निम्नलिखित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, जानबूझकर अथवा बिना जानबूझकर कारणों से ग्रसित होता है-

1) जान-बूझकर अपने को चोट पहुँचाने, आत्म-हत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण अथवा मादक द्रव्य पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तु के सेवन करने से हो, अथवा
2) ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो, जबकि बीमित व्यक्ति उड्डयन अथवा वैज्ञानिकी में किसी भी पद पर कार्यरत हो, न कि, जब कि वह किराया देकर ऐसे यात्रियों को ले जाने के लिये, सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अधिकृत स्थापित हवाई अड्डों के बीच उड़ान भरने वाले किसी हवाई जहाज में यात्रा करता हो तथा हवाई जहाज के उड़ने व उससे उतरते समय बीमित व्यक्ति की कोई ड्यूटी (कार्यभार) न हो, अथवा,
3) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून भंग करने के फलस्वरूप हो, अथवा,
4) जोखिमी खेल-क्रीड़ा, आखेट, जूडों-कराटे, पर्वतारोहण, जैट-स्काईंग, पॉट-होलिंग, घुड-दौड़, गोताखोरी, नाव-दौड़, लंबी छलांग, बाक्सिंग, केविंग अथवा किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ के फलस्वरूप चोट लगने के कारण हो, अथवा
5) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), आक्रमण अथवा
6) अन्य अर्न्तसंदर्भित शर्त (नियम)

उपरोक्त दोनों राइडर का विवरण उनके विक्रय साहित्य में पृथक से उपलब्ध है।

लाभ उदाहरण

बीमाधन - ₹100000	प्रवेश के समय आयु - 35 वर्ष अवधि - 15 वर्ष
विधि - वार्षिक	प्रीमियम - ₹11596.00

पूर्णावधि लाभ

निवेश वापसी	6 प्रतिशत	10 प्रतिशत
गारन्टीड	₹100000	₹100000
	+ ₹100000*	₹100000*
नॉन-गारन्टीड	₹ 54000	₹1,12,500
योग	₹154000	₹2,12,500
	+ ₹100000*	₹100000*

₹10000 की समान वार्षिक किश्त पूर्णावधि के एक वर्ष बाद देय है।

वर्ष	गारन्टीड ₹	मृत्यु लाभ			
		नॉन-गारन्टीड ₹		योग ₹	
		6%	10%	6%	10%
1	1,00,000	3600	7500	103600	107500
2	1,00,000	7200	15000	107200	115000
3	1,00,000	10800	22500	110800	122500
4	1,00,000	14400	30000	114400	130000
5	1,00,000	18000	37500	118000	137500
6	1,00,000	21600	45000	121600	145000
7	1,00,000	25200	52500	125200	152500
8	1,00,000	28800	60000	128800	160000
9	1,00,000	32400	67500	132400	167500
10	1,00,000	36000	75000	136000	175000
11	1,00,000	39600	82500	139600	182500
12	1,00,000	43200	90000	143200	190000
13	1,00,000	46800	97500	146800	197500
14	1,00,000	50400	105000	150400	205000
15	1,00,000	54000	112500	154000	212500

वैधानिक चेतावनी :

कुछ लाभ गारण्टीड हैं एवं कुछ लाभ वापसी कंपनी के भविष्य के कार्य सम्पादन पर निर्भर करते हैं। यदि आपकी पालिसी गारण्टीड लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से गारण्टीड दर्शाया जायेगा। यदि आपकी पालिसी बिना गारंटी के लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में कंपनी के अनुमानित भविष्य निवेश पर दो भिन्न ब्याजदर पर गणना करके दिखायेगी। बीमाधारक को प्राप्त होने वाला यह अनुमानित लाभ वापसी गारण्टीड नहीं है। पालिसी में लाभ वापसी अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यह बीमा करने वाले (Insurer) की निपुणता एवं दक्षता पर निर्भर करता है कि वे कोष को किस प्रकार निवेश करते हैं जिससे अधिकतम लाभ हो। अतः लाभ वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

अपवाद

आत्म-हत्या उपबन्ध :

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पालिसी की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पालिसी रद्द हो जायेगी (पालिसी का अभ्यर्पण मूल्य छोड़कर) और कंपनी इस पालिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी, किन्तु इस पालिसी में बीमित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के यथार्थ आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे जो उसने किसी मूल्यवान प्रतिदान के द्वारा प्राप्त कर लिये थे और जिसकी लिखित सूचना बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के कम से कम एक माह पूर्व उस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई हो, जिसमें इस पालिसी के अंतर्गत अन्तिम प्रीमियम चुकाई गई थी।

वैधानिक-चेतावनी

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की **धारा 41** में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पालिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पालिसी की प्रीमियम में छूट अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रदान नहीं करेगा एवं न ही कोई व्यक्ति इस छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमा कर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (1) का उलंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू0 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरण:

कोई भी जीवन बीमा पालिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव-पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या किसी संदर्भी या पालिसीधारक के मित्र द्वारा पालिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

फ्री लुक अवधि-

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पालिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन के अन्दर यदि वह पालिसी की शर्तों तथा अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार/असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पालिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी प्रीमियम राशि में से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, प्रीमियम वापस पाने का अधिकारी है।

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या-
हमारा निःशुल्क टाल नं.-1800-180-9000 (भा.सं.नि.लि./म.टे.नि.लि.)
लोकल कारपोरेट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं-

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020310, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 9670444427, बरेली - 9412485488, बडौदा - 9998020301, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216322898, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9711311363, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैज़ाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, कोलकाता - 9831692615, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुज़फ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9839666777, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय-वस्तु है

नोट- किसी भी वैधानिक अथवा अन्य विवाद में अंग्रेजी पैम्फलेट की भाषा ही मान्य होगी।

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ-226 024. फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

सहारा इंडिया परिवार

Saharalife/3A/2009-10/BRO/English/August09/50000
Saharalife/28/2009-10/BRO/english

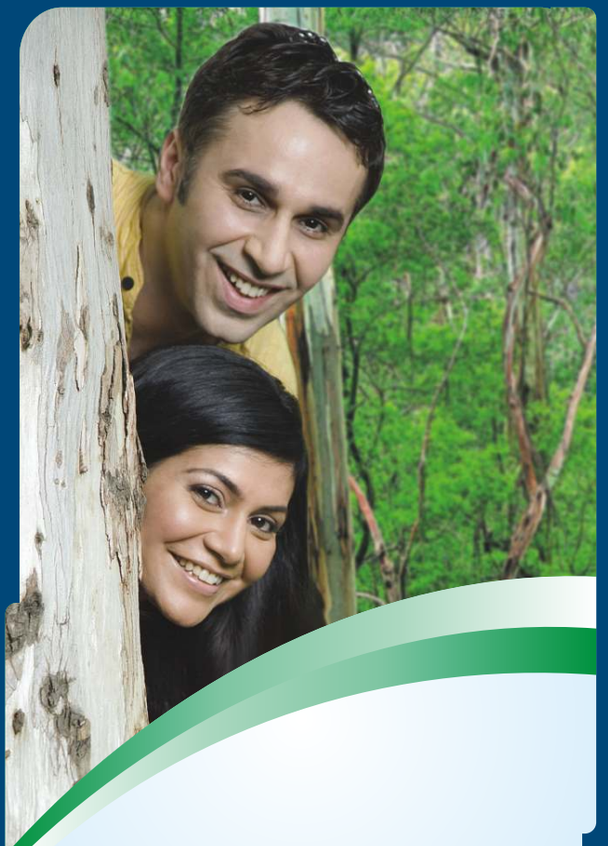

सहारा उमंग
बंदोवस्ती बीमा लाभ सहित
(UIN- 127N019V01)

Maturity Benefit : Sum Assured with bonus plus ten yearly installments after maturity

SAHARA INDIA Life Insurance
Chiranjivi Bhava

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड

IRDA Registration No. : 127

सहारा उमंग

(बंदोबस्ती बीमा लाभ सहित)

UIN-127L019V01

इस पालिसी में निवेश पक्ष के अंतर्गत निवेश जोखिम बीमाधारक द्वारा वहन किया जाता है।

(विश्व के विशालतम् परिवार में स्वागत है)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाऐं इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, सूचना प्राधौगिकी, अस्पताल, कन्ज़्यूमर प्रोडक्ट्स, निमार्ण एवं सर्विसेज़ व ट्रेडिंग आदि में कार्यरत हैं।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा ''सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्ग विशेषतः ग्रामीण, शोषित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना-

सहारा उमंग पूर्णावधि तक जोखिम वहन तथा पूर्णावधि के पश्चात् नियमित अंतराल पर गारन्टीड निश्चित धन राशि के भुगतान प्रावधान, जुड़े लाभो सहित एक बचत योजना है। पॉलसी की सम्पूर्ण अवधि में मृत्यु होने पर वित्तीय सुरक्षा तथा साथ ही अवधि की समाप्ति पर, जीवित रहने पर एक मुश्त रकम भुगतान तथा साथ ही अवधि की समाप्ति पर, जीवित रहने पर अतिरिक्त गारन्टीड दस वार्षिक किश्ते, जो पूर्णावधि के एक वर्ष पश्चात् बीमार्थी/नामित व्यक्ति को देय है चाहे बीमार्थी जीवित रहे या न रहे। यह लाभ सहित योजना है तथा रिवरसनरी बोनस, जो कोष सम्पादन तथा अनुभव के आधार पर होगा, प्रति वर्ष निहित होता है। यह योजना उन निवेश कर्त्ता के लिये उपयुक्त है जो सुरक्षित लाभ वापसी, कर लाभ तथा पूर्णावधि के पश्चात् नियमित आय भी चाहते है।

योजना विवरण-

प्रवेश के समय आयु	14 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	60 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
न्यूनतम बीमाधन	₹ 1,00,000
न्यूनतम/अधिकतम अवधि	15 वर्ष (निश्चित)
प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलसी अवधिनुसार
अधिकतम पूर्णावधि आयु	75 वर्ष

प्रीमियम भुगतान विधि का क्या प्रारूप है।

वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही तथा मासिक (प्रत्यक्ष डेबिट अथवा ग्रुप बिलिंग मात्र)

प्रीमियम भुगतान विधि में क्या शुल्क है ?

वार्षिक विधि	-	कोई शुल्क नहीं
अर्ध वार्षिक विधि	-	तालिका दर पर 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क
तिमाही विधि	-	तालिका दर पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क
मासिक विधि	-	तालिका दर पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क

क्या छूट उपलब्ध है ?

दो लाख बीमाधन तथा अधिक के लिये ₹1.00 प्रति हजार बीमाधन छूट तालिका दर पर देय है।

कालातीत न होने के लिए अनुग्रह दिवस प्रावधान -

वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं तिमाही भुगतान विधि के लिए न्यूनतम 30 अनुग्रह दिन (चाहे वर्ष का कोई भी माह हो) एवं मासिक भुगतान विधि के लिए 15 दिन का प्रावधान है यदि अनग्रह दिवस अवधि में, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है एवं उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो बीमाधन से अदत्त प्रीमियम, जो आगामी पॉलिसी वर्षगाँठ तक देय है, काट कर,भुगतान किया जायेगा।

प्रीमियम न भुगतान करने की अवस्था में क्या होता है?

यदि पालिसी में कम से कम 3 वर्ष प्रीमियम का भुगतान हो चुका है, तो पालिसी चुकता मूल्य अर्जित कर लेती है बीमाधन कुल देय प्रीमियम एवं भुगतान की गई प्रीमियमों के अनुपात में घटा दिया जाता है निहित बोनस भी पालिसी में रहता है लेकिन भविष्य के मूल्यांकन में पालिसी भाग नहीं लेती है।

कालातीत पालिसी के पुनर्चलन का क्या प्रावधान है?

कालातीत (लेप्सड) पालिसी, बीमार्थी के जीवन काल में, लेकिन पूर्णावधि से 5 वर्ष पूर्व प्रथम भुगतान न की गई प्रीमियम कि तिथि से समस्त अवशेष प्रीमियम ब्याज सहित जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जायेगा तथा निरंतर बीमा योग्य रहने का प्रमाण पत्र कंपनी की संतुष्टि के लिये, देकर पुनर्चालित की जा सकती है। लेकिन कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कालातीत पालिसी को पुनर्चालित करे या न करें। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अनुमोदित कर बीमाधारक को सूचित न कर दिया जाय।

क्या पालिसी को अभ्यपर्ण किया जा सकता है?

यदि पालिसी में कम से कम 3 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका हे तो विशेष अभ्यर्पण मूल्य एवं गारन्टीड अभ्यपर्ण मूल्य जो भी अधिक होगा उसका भुगतान किया जायेगा।

- गारन्टीड अभ्यपर्ण मूल्य भुगतान की हुई प्रीमियमों का 30 प्रतिशत (प्रथम वर्ष की प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम को छोड़कर) के तुल्य है साथ ही निहित बोनस का नकद मूल्य भी भुगतान के लिये देय है।
- विशेष अभ्यपर्ण मूल्य शुद्ध प्रीमियम रिजर्व तथा निहित बोनस दोनों के मूल्य का 70 प्रतिशत है।

क्या ऋण उपलब्ध है ?

हाँ कंपनी के समय-समय पर नियमानुसार यदि पालिसी ने अभ्यपर्ण मूल्य अर्जित कर लिया है यानि पालिसी 3 वर्ष चल चुकी हे तथा कम से कम 3 वार्षिक प्रीमियम जमा हो गये हों।

पालिसी में क्या लाभ है ?

- **पूर्णावधि पर -** बीमाधन तथा समस्त निहित बोनस पॉलिसी की पूर्णावधि पर देय है।

इसके अतिरिक्त बीमाधन के 10 प्रतिशत की वार्षिक गारन्टीड किश्ते पूर्णावधि के तिथि के एक वर्ष पश्चात् बीमार्थी/नामित व्यक्ति को देय है चाहे बीमार्थी जीवित हो या न हो। बीमार्थी को कटौती किया हुआ मूल्य (कटौती दर कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी) प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। यदि पॉलिसी 15 वर्ष चल चुकी है, लायल्टी एडीशन, यदि कोई है, घोषित होने पर, अंतिम यानि दसवीं किश्त (बीमाधन का 10 प्रतिशत) के साथ देय है।

- **दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर -** बीमाधन समस्त निहित बोनस के साथ बीमार्थी की मृत्यु पर देय है

आयकर लाभः-

- भुगतान की हुई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत छूट के लिये योगय है।
- बीमाधारक अथवा उसके आश्रितों को पालिसी में पूर्णावधि/मृत्यु दावा प्राप्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10डी) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है।

भविष्य में यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होगी।

बीमित व्यक्ति की अवयस्कता में लाभ किसको देय है :-

यदि बीमार्थी की अवयस्कता में दावा उत्पन्न होता है तो प्रस्तावक को पॉलिसी के लाभ देय हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तावक के उत्तराधिकारियों को देय है।

बीमार्थी के वयस्क अथवा 18 वर्ष होने पर पॉलिसी स्वतः उसमें निहित हो जायेगी।

अतिरिक्त लाभ- राइडर

दुर्घटना लाभ और सम्पूर्ण स्थायी अपंगता लाभ राइडर (यू.आई.एन. 127बी001वी01)

जो बीमित व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष (पूर्ण कर चुका है) एवं 55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) के मध्य आयु का है, उसे पालिसी प्रारम्भ तिथि/पालिसी वर्षगांठ से राइडर उपलब्ध है। दुर्घटना हित राइडर के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा धन रू. 50,000/- उपलब्ध है और अधिकतम बीमा धन या तो मूल बीमा धन अथवा रू. 20,00,000/- (जिसमें कंपनी से क्रय की गयी सभी पिछली पालिसिया सम्मिलित रहेंगी), जो दोनों में धनराशि कम होगी, उपलब्ध होगा। यह लाभ बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) आयु प्राप्त करने अथवा मूल पालिसी की पूर्णावधि, जो पहले घटित हो, तभी तक उपलब्ध है।

पुर्नचलन नियम - जो मूल पालिसी में लागू हैं वही इस राइडर में लागू होंगे।

राइडर के लिए रू. 1.00/- प्रति हजार बीमाधन प्रीमियम देय है।

यदि बीमाधारक की आयु पालिसी वर्षगांठ से पूर्व, जिसमें बीमित व्यक्ति 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) पूर्ण कर रहा है एवं पालिसी चालू हालत में है- उसकी दुर्घटना में शारीरिक चोट, जो प्रत्यक्ष एवं पूर्ण रूप से वाह्य, तेज धारदार एवं दृष्टिगोचर साधन (शस्त्र) से लगने के कारण, मृत्यु दुर्घटना तिथि से 180 दिनों में हुई है एवं दुर्घटना में मृत्यु का कारण स्वतंत्र एवं प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक चोट है तो दुर्घटना राइडर के तुल्य एक अतिरिक्त धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है, का भुगतान देय है। यदि बीमार्थी स्थायी एवं पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो राइडर बीमित धन का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्ष तक एवं शेष राइडर का 50 प्रतिशत 5 वर्ष के अंत में देय है। स्थायी अपंगता दावा निस्तारण एवं भुगतान होने पर राइडर प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाता है एवं मूल पालिसी चालू रखने के लिये प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार करना होगा।

सम्पूर्ण एवं स्थायी अपंगता, जैसा ऊपर वर्णित है, दुर्घटना से घटित हो एवं इस प्रकार की हो कि बीमित व्यक्ति स्थाई रूप से अपंग हो जाय तथा दुर्घटना दिनांक से कोई आय, किसी कार्य, व्यवसाय अथवा पेशे (शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अनुभव को छोड़कर) से अर्जित न कर सके। अपंगता निम्नलिखित परिभाषित है-

अ) अपने दोनों हाथ कलाई अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा

ब) दोनों पैर एडी अथवा इससे ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा

स) एक हाथ कलाई या इसके ऊपर एवं एक पैर एडी से ऊपर प्रयोग करने में असमर्थता अथवा

द) दोनों आँखों की सम्पूर्ण, स्थायी एवं असाध्य दृष्टि की क्षति।

अपवाद : कंपनी उपरोक्त (अ) (ब) (स) (द) में संदर्भित अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार नहीं होगी, यदि बीमित व्यक्ति की अपंगता अथवा मृत्यु-

1) जान-बूझकर अपने को चोट पहुँचाने, आत्म-हत्या का प्रयास करने, पागलपन अथवा अनैतिक आचरण के कारण, मादक द्रव्य पदार्थ, औषधि या नशीली वस्तु के सेवन करने से हो, अथवा

2) ऐसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो, जबकि बीमित व्यक्ति उड्डयन अथवा वैज्ञानिकी में किसी भी पद पर कार्यरत हो, न कि, जब कि वह किराया देकर ऐसे यात्रियों को ले जाने के लिये, सम्बन्धित अधिनियमों द्वारा अधिकृत स्थापित हवाई अड्डों के बीच उड़ान भरने वाले किसी हवाई जहाज में यात्रा करता हो तथा हवाई जहाज के उड़ने व उससे उतरते समय बीमित व्यक्ति की कोई ड्यूटी (कार्यभार) न हो, अथवा ,

3) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी कानून भंग करने के फलस्वरूप हो, अथवा,

4) जोखिमी खेल-क्रीड़ा, आखेट, जूडो-कराटे, पर्वतारोहण, जैट-स्काईंग, पॉट-होलिंग, घुड-दौड़, गोताखोरी, नाव-दौड़, लंबी छलांग, बाक्सिंग, केविंग अथवा किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ के फलस्वरूप चोट लगने के कारण हो, अथवा

5) दंगों, असैनिक उपद्रवों, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), आक्रमण अथवा

6) अन्य अर्न्तसंदर्भित शर्त (नियम)

राइडर नं0 2 गम्भीर रोग राइडर (UIN:127B002V01):

जो बीमित व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष (पूर्ण कर चुका हैं) एवं 55 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) के मध्य आयु का है, उसे पालिसी प्रारम्भ तिथि/पॉलसी वर्षगाठ से राइडर उपलब्ध है। गम्भीर रोग राइडर के अन्तर्गत न्यूनतम बीमा धन रू0 1,00,000/- उपलब्ध है और अधिकतम बीमा धन या तो मूल बीमा धन अथवा रू0 6,00,000/- (जिसमें कंपनी से क्रय की गई सभी पूर्व पालिसियां सम्मिलित रहेंगी), जो दोनों में से धनराशि कम होगी, उपलब्ध होगा। यह लाभ बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) आयु प्राप्त करने अथवा मूल पालिसी की पूर्णावधि, जो पहले घटित हो, तक ही उपलब्ध है।

गम्भीर रोग की अर्हत्ता एवं लाभ- रोग के लक्षण एवं उपचार में किये गये व्यय, प्रमाणित प्रलेख प्रस्तुत करने पर, देय है।

12 गम्भीर रोग कैंसर, (गम्भीर), कारोनरी आरटरी बाईपास सर्जरी, फर्स्ट एवर मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, ऐरोटा सर्जरी, दिल के वॉल्व का बदलना (Heart Valve Replacement), अंग की क्षति (Loss of Limb), गुर्दे का असफल होना (Kidney Failure), अंग प्रत्यारोपण (Major Organ Transplant), स्ट्रोक, लकवा (Paralysis), अर्ध मरणावस्था में जाना (Coma), आग से अधिक जलना (Major Burns) जिनमें गंभीर रोग राइडर का लाभ प्राप्त किया जा सकता है-

नियम तथा अहत्तायें :-

1. गंभीर रोग राइडर तभी देय है जब पॉलसी समस्त बीमाधन के लिये चालू अवस्था में हो।
2. न्यूनतम बीमाधन लाभ एक लाख तथा अधिकतम बीमाधन लाभ छः लाख है।
3. राइडर में वर्णित किसी रोग के लक्षण पालिसी के जोखिम प्रारम्भ/पुर्नचलन (Revival) से पूर्व एवं उसके पश्चात् 6 माह तक विद्यमान थे/हुये तो राइडर में कोई भी लाभ देय नहीं होगा।
4. बीमित व्यक्ति में उपरोक्त वर्णित रोगों में से किसी एक के लक्षण प्रतीत होते हैं एवं वह उपचार कराता है तो उसे 90 दिन तक जीवित रहने पर ही राइडर लाभ देय है। एक बार लाभ भुगतान के पश्चात् राइडर समाप्त हो जाता है लेकिन मूल पॉलसी पूर्ण बीमा धन हेतु चालू रहती है।
5. गंभीर रोग राइडर 65 वर्ष आयु प्राप्ति तक ही सीमित है।
6. राइडर लाभ तभी देय है जब कंपनी द्वारा नियुक्ति किये गये स्वास्थ्य परीक्षक अथवा स्वास्थ्य परीक्षकों के पैनल द्वारा दी गई रिर्पोट अथवा स्वास्थ्य प्रमाण कि यह निर्दिष्ठ रोग राइडर में निहित है तथा कंपनी पूर्ण रूपेण संतुष्ट है।
7. राइडर में दावा यदि एक बार स्वीकृत होकर भुगतान हो जाता है तो राइडर बन्द हो जायेगा लेकिन मूल पालिसी पूर्ण बीमाधन के लिए चलती रहेगी।
8. राइडर में लाभ का भुगतान होने के बाद मूल पालिसी चालू रखने के लिए पालिसी के नियमानुसार नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
9. उपरोक्त वर्णित किसी रोग के होने पर बीमित व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर, अर्हत्ता अनुसार, कंपनी को लिखित रूप में अपने पुराने पते का हवाला देते हुये सूचित करना होगा। रोग का संतोष जनक प्रमाण-पत्र कंपनी की आवश्यकतानुसार अथवा जिस ढंग से वह चाहती है, प्रस्तुत करना होगा। कंपनी चाहे तो अपने नियुक्त स्वास्थ्य चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य चिकित्सक-पैनल द्वारा बीमित व्यक्ति का परीक्षण करा सकती है।

वह चाहती है, प्रस्तुत करना होगा। कंपनी चाहे तो अपने नियुक्त स्वास्थ्य चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य चिकित्सक-पैनल द्वारा बीमित व्यक्ति का परीक्षण करा सकती है।

10. राइडर के प्रीमियम दर 3 वर्ष के लिये गारंटीकृत हैं। इस अवधि के पश्चात् कंपनी अपने अनुभव एवं इरडा के अनुमोदन के पश्चात प्रीमियम का पुनः निर्धारण कर सकती है।